संख्या-66 /2018/1515जेएल/22-3-18-200(1)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊः दिनांकः 08 अगस्त, 2018***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-22471/प्रो0अनु0(2)-180/2017/होमलीव, दिनांक 21-06-2018 एवं पत्र संख्या-25289/प्रो0अनु0(2)-180/2017/होमलीव, दिनांक 16-07-2018 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध 35 सिद्धदोष बंदियों **(सूची संलग्न)** के दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार उन्हें 15(पन्द्रह) दिनों के लिए घर जाने हेतु अनिवार्य रूप से एक साथ मुक्त किया जाय। बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

I. बंदी द्वारा आदर्श कारागार, लखनऊ में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।

II. यदि कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

III. यदि बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।

IV. गृह अवकाश उन्हीं बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र हों अर्थात जिनके द्वारा हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।

V. बंदी पूर्व वर्षो में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो।

VI. बंदी के पास रहने के लिए घर हो तथा उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिए व्यय की जाने वाले धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10.00 शेष रहें।

VII. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जाएगा उसकी सूचना अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

VIII. **<u>बंदियों को अनिवार्य रूप से एक साथ गृह अवकाश पर मुक्त किया जाय। ऐसा न करने पर शासन के आदेशों की अवहेलना माना जायेगा।</u>**

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिए अर्ह न हों, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिए जायं।

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की एक प्रति उसके प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

<u>संख्या-66/2018/1515जेएल(1)/22-3-18-उक्तदिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बंदियों की सूची सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-22471/प्रो0अनु0(2)-180/2017/होमलीव, दिनांक 21-06-2018 एवं पत्र संख्या-25289/प्रो0अनु0(2)-180/2017/होमलीव, दिनांक 16-07-2018 के संदर्भ में।
3- गार्ड फाइल।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:66/2018/1515जेएल/22-3-18-200(1)/2018,दिनांक: 08 अगस्त, 2018 का संलग्नक

क्र0स0	बंदी का नाम व पिता का नाम	निवासी जनपद	बंदी संख्या
1	रफीक पुत्र श्री जफ्फू	हरदोई	14758
2	बाबू पुत्र श्री जफ्फू	हरदोई	14759
3	रामप्रसाद पुत्र श्री महावीर	फतेहपुर	14591
4	राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मन्ना सिंह	कानपुर देहात	14860
5	संकटा पुत्र श्री जानकी	लखीमपुर खीरी	14013
6	राजेश उर्फ राजू पुत्र श्री प्रेम गिरि	लखीमपुर खीरी	16068
7	राजेन्द्र पुत्र श्री चन्द्रिका	लखीमपुर खीरी	14980
8	अब्दुल वसीम पुत्र श्री अब्दुल मोबीन	लखनऊ	14491
9	अभय सिंह पुत्र श्री छत्रपाल सिंह	बांदा	14503
10	सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला	उन्नाव	14530
11	भगवानदीन पुत्र श्री सत्यनारायण	उन्नाव	14568
12	इस्लाम पुत्र श्री अली मोहम्मद	एटा	14788
13	अकबर अली पुत्र श्री अशरफ अली	रामपुर	16078
14	शकील पुत्र श्री बशीर	रामपुर	16079
15	विनोद कुमार पुत्र श्री लल्लन कुमार	बाराबंकी	14885
16	हबीब पुत्र श्री अब्दुल लतीफ	बदायूँ	14326
17	रामसिंह पुत्र श्री छेदी	उन्नाव	16053
18	अशोक पुत्र श्री रमेश	उन्नाव	15112
19	छोटे सिंह उर्फ मलखान सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह	कानपुर नगर	15113
20	भाषेन्द्र पुत्र श्री मुंशीलाल	अलीगढ़	15650
21	बेचेलाल पुत्र श्री धनीराम	उन्नाव	15975
22	जय बहादुर सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह	कानपुर नगर	15976
23	गोपाल पुत्र श्री सुखीलाल	उन्नाव	14958
24	अच्छेलाल सरोज पुत्र श्री जगदेव सरोज	प्रतापगढ़	15032
25	शिवकुमार पुत्र श्री गुरूचरन वर्मा	सिद्धार्थनगर	17002
26	अकील अहमद पुत्र श्री शौकत अली	अलीगढ़	17083
27	रामकुमार पटेल पुत्र श्री अवधलाल	उन्नाव	14003
28	अनिल कुमार पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद	हरदोई	14345
29	नवाब अली उर्फ नवाबू पुत्र श्री तुराब अली	हरदोई	14346
30	रामप्रकाश सिंह पुत्र श्री मुनेश्वर सिंह	हरदोई	14852
31	दयाराम पुत्र श्री किशोरी	हरदोई	14872
32	अवधराम पुत्र श्री रामखेलावन	सीतापुर	15027
33	अमित उर्फ लल्ला पुत्र श्री निरंकार शर्मा उर्फ लड्डू गोपाल	बरेली/बदायूँ	17062
34	ताहिर पुत्र श्री छिद्दा	गाजियाबाद	17133
35	छत्रपाल पुत्र श्री छविलाल	हमीरपुर	14912

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।